

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापूर
पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-129/2015
अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.ए.

- उनवान प्रकरण**
1. श्रीमति रामी पुत्री बालु बलाई पत्नि जयराम बलाई निवासी आमली हाल निवास काली मंगरी का खेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
 2. श्रीमति गीता पुत्री बालु बलाई पत्नि चम्पा बलाई निवासी आमली हाल निवासी शिवरती तहसील सहाडा जिला
 3. श्रीमति कैलाशी पुत्री बालु बलाई पत्नि भैरूलाल बलाई निवासी आमली हाल निवासी रायरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
 4. श्रीमति नारायणी पुत्री बालु बलाई पत्नि उर्जन बलाई निवासी आमली हाल निवासी औझागर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा।
 5. श्रीमति दुर्गा पुत्री बालु बलाई पत्नि नारायण बलाई निवासी आमली हाल निवास मटुनिया तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

- बनाम**
- वादीयागण**
1. श्री नन्दा पिता नारीया बलाई निवासी आमली तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
 2. श्रीमान शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमली
 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाडा जिला भीलवाडा

प्रतिवादी गण

-:निर्णय :-

दिनांक :-28.03.2017

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दशा 40ह0 नान्दशा तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 907रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 908 रकबा 0.26 है0 आराजी संख्या 909 रकबा 0.02 है., आराजी संख्या 910 रकबा 0.43 है. आराजी संख्या 911 रकबा 0.10 है. कुल किता 05 रकबा 1.07 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है वादी संख्या 01 लगायत 05 का 1/2 हिस्सा नियत है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा निहित है तथा भूमि में हम वादीगण का भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से भूमि को उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अडचन आती है अतः वादीगण 01 लगायत 05 का उक्त कुल किता 05 रकबा 1.07 है. में से हिस्सा तथा शेष प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। प्रकरण विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने आपसी राजीनामे से हिस्सा एवं कब्जे अनुसार विभाजन चाहा है अतः आदेश दिये प्रकरण का विधिवत विचारण किया जाकर वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया आदेश तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश प्रदान किया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षों को सुना गया विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार ने आपत्ति नहीं कि लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है एवं प्रस्तावित बटवारा मय नक्शे के निर्णय का भाग समझा जावें।

—:आदेश:—

आद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहकवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारों में नियमानुसार विभाजन किया जाता है।

1. गीता , रामी ,कैलाशी,दुर्गा 24/25 नाराणी 1/2 पिता बालु बलाई साकिन निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

आ0नं0

907/2

रकबा

908/2

0.13

910/1

0.13

कुल किता 03

0.27

कुल रकबा

0.53 हे0

2. नन्दा पिता नारीया बलाई सा.आमली रहन एस.बी.बी.जे. शाखा आमली

आ0नं0

रकबा

907/1

0.13

908/1

0.13

910/2

0.16

911

0.10

कुल किता 04

कुल रकबा

0.52 हे0

3. नन्दा पिता नारीया 1/2 गीतारामी कैलाशी दुर्गा 24/50 नाराणी 1/50 पिता बालु बलाई सा.आमली रहन एस.बी.बी.जे. शाखा आमली हिस्सा नन्दा पर

आ.न.


रकबा

909

0.02

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक्-पृथक् खाते कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश आज दिनांक 28.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।




(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर भीलवाड़ा (राज0)

2
ले)
थवा

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापूर
पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-129/2015

अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.ए.

उनवान प्रकरण

1. श्रीमति रामी पुत्री बालु बलाई पत्नि जयराम बलाई निवासी आमली हाल निवास काली मंगरी का खेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति गीता पुत्री बालु बलाई पत्नि चम्पा बलाई निवासी आमली हाल निवासी शिवरती तहसील सहाडा जिला
3. श्रीमति कैलाशी पुत्री बालु बलाई पत्नि भैरूलाल बलाई निवासी आमली हाल निवासी रायरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
4. श्रीमति नारायणी पुत्री बालु बलाई पत्नि उर्जन बलाई निवासी आमली हाल निवासी औझागर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति दुर्गा पुत्री बालु बलाई पत्नि नारायण बलाई निवासी आमली हाल निवास मटुनिया तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

वादीयागण

बनाम

1. श्री नन्दा पिता नारीया बलाई निवासी आमली तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. श्रीमान शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमली
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाडा जिला भीलवाडा

प्रतिवादी गण

वादीगण की ओर से - एडवोकेट, प्रतिवादी की ओर से - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 28.03.2017 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि -----x----- और इस वाद के खर्च लेखे -----x----- रुपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर -----x----- प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----x----- द्वारा -----x----- को दी जाए।

न्याय हित में वादीगण का वाद पत्र प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीयागण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या एक के इस आशय के जारी की जाती हैं कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या एक के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है, उसी अनुसार भूमि वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या एक के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

चौ
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाडा (राज.)

—:आदेश:—

उक्त अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहकवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और उक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारों में नियमानुसार विभाजन किया जाता है।

1. गीता , रामी ,कैलाशी,दुर्गा 24/25 नाराणी 1/2 पिता बालु बलाई साकिन निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

आ0नं0	रकबा
907/2	0.13
908/2	0.13
910/1	0.27
कुल किता 03	कुल रकबा 0.53 हे0

2. नन्दा पिता नारीया बलाई सा.आमली रहन एस.बी.बी.जे. शाखा आमली

आ0नं0	रकबा
907/1	0.13
908/1	0.13
910/2	0.16
911	0.10
कुल किता 04	कुल रकबा 0.52 हे0

3. नन्दा पिता नारीया 1/2 गीता रामी कैलाशी दुर्गा 24/50 नाराणी 1/50 पिता बालु बलाई सा.आमली रहन एस.बी.बी.जे. शाखा आमली हिस्सा नन्दा पर आ.न.

आ.न.	रकबा
909	0.02

उपरोक्तानुसार भूमि वादीयागण एवं प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे हिस्से अनुसार दर्ज की जावें खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश आज दिनांक 28.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो ।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

आज दिनांक 28.03.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

